न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 15/243

पप्पू लाल आत्मज रामचन्द्र जाति चमार निवासी घटोलिया तहसील के0 पाटन जिल
बून्दी ।

----अपीलान

बनाम

1. मथुरा लाल (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   1/1. मोहन लाल
   1/2. कालूलाल
   1/3. रामपाल
   1/4. प्रहलाद
   1/5. मेरी बाई बेवा मथुरा लाल जाति चमार निवासी पटोलिया तहसील के0 पा
   जिला बून्दी (नाम तर्क) ।
2. किशन लाल आत्मज गणेश जाति चमार निवासी पटोलिया तहसील के0 पाटन जि
   बून्दी ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार के0 पाटन जिला बून्दी ।

----रेस्पोड

उपस्थित :– 1. श्री कृष्ण दत्त दाधीच, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांक: 08.05.20

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 19
   न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, के0 पाटन जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिन
   25.10.2012 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय
   राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत एक वाद घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा
   बंटवारा का पेश कर कथन किया कि ग्राम के0 पाटन जिला बून्दी में आराजी खसरा न
   597/6 रकबा 01 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नमरि 603/1 रकबा 09 बिस्वा एवं खसरा न
   604/8 रकबा 09 बीघा कुल 03 किता की 09 बीघा 12 बिस्वा भूम स्थित है । उक्त
   वादी एवं प्रतिवादी के दादा स्वर्गीय दयाला जी के खाते एवं कब्जे काश्त की भूमि है ।
   खातेदार दयाला के देहान्त के पश्चात् उक्त भूमि वादी के पिता रामचन्द्र एवं प्रतिवादी क
   व 2 के पिता गणेश के खाते में नामान्तरकरण संख्या 146 दिनांक 15.09.1956 से दर्ज
   चुकी थी । उक्त भूमि वादी की पुश्तैनी भूमि है जिस पर वादी का जन्म से ही अधि
   निहित है । प्रतिवादीगण ने दौराने सेटलमेंट वादी के पिता का नाम हटवा कर उक्त भूमि

में प्रतिवादीगण के द्वारा किये गये रद्दोबदल को निरस्त घोषित करवाकर पूर्व अनुसार पिता का नाम दर्ज करवा लेवे तथा अपने पिता के नाम के स्थान पर अपना नाम दर्ज करवा ले ।

3. अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी में वादी का नाम प्रतिवादीगण के साथ जोडा जावे तथा वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन किया जावे । प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादग्रस्त आराजी को राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज होने से खुर्द–बुर्द रहन, बेचान नहीं करे तथा वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखल व मजाहमत नहीं करें ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 25.10.2012 के द्वारा वादी का वाद खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.10.2012 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त आराजी वादी के दादा की साबित मानकर भी अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित करने में त्रुटि की है । वादग्रस्त आराजी वादी की पुश्तैनी भूमि थी । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.10.2012 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी अपीलान्ट ने अपनी उपस्थिति दी थी किन्तु उनके वकील साहब ने प्रार्थी को तारीख पेशी पर आने से मना कर दिया और आवश्यकत होने पर उन्हें सूचित करने के लिए कहा था परन्तु उनके अभिभाषक ने उन्हें उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की कोई जानकारी नहीं दी । उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 07.04.2015 को अधीनस्थ न्यायालय में अपने अभिभाषक से सम्पर्क करने पर हुई जिस पर उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. उक्त अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी के दादा दयाला के खाते में वादग्रस्त आराजी दर्ज थी । दयाला के देहान्त के बाद उनके पिता रामचन्द्र और वं प्रतिवादी कम 1 व 2 के पिता गणेश के खाते में नामान्तरकरण संख्या 146 दिनांक 15.09.1956 से दर्ज हुई । उक्त आराजी वादी की पुश्तैनी आराजी है जिसमें वादी का जन्म से ही अधिकार है । सेटलमेंट से मिली भगत कर प्रतिवादीगण ने वादग्रस्त आराजी अपने नाम दर्ज करवा ली जबकि सेटलमेंट विभाग को इस प्रकार के परिवर्तन का कोई अधिकार नहीं है । वादी ने अपने दावे का सिद्ध करने के लिए अधीनस्थ न्यायालय में नकल जमाबन्दी एंव मिलान क्षेत्रफल पेश किया था । समस्त साक्ष्य मौजूद रहने के बावजूद दावा खारिज किया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.10.2012 निरस्त फरमाया जावे ।

9. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण दर्शित किये हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

10. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर नकल जमाबन्दी संवत् 2064–67 नया खाता संख्या 573 संलग्न है जिसके अनुसार कुल 02 किता की 1.78 हैक्टर आराजी मथुरा लाल, किशनलाल पिसरान गणेश के नाम खाते में दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2060–63 के अनुसार भी आराजी मथुरालाल, किशनलाल पिसरान गणेश के नाम खाते में दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2033–36 खाता संख्या 79 के अनुसार गणेश वल्द दयाल के खाते में खसरा नम्बर 747 की रकबा 11 बीघा 11 बिस्वा भूमि दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2008 से 2011 के अनुसार दयाला वल्द बक्शू के खाते में कुल 03 किता की 09 बीघा 13 बिस्वा आराजी दर्ज है और नकल नामान्तरकरण संख्या 46 के अनुसार दयाला की मृत्यु हो जाने पर 03 किता की 09 बीघा 12 बिस्वा आराजी गणेश और रामचन्द्र के खाते में दर्ज होने के आदेश हुए है । पत्रावली पर संलग्न नकल मिलान क्षेत्रफल 1995 से 2015 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 747 रकबा 11 बीघा 11 बिस्वा के हाल खसरा नम्बर 1250 रकबा 0.05 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 1259 रकबा 1.73 हैक्टर कायम किये गये हैं । नकल मिलान क्षेत्रफल संवत् 2022–41 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 604 मिन रकबा 08 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 586 मिन 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 587 मिन रकबा 02 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नम्बर 603 रकबा 11 बिस्वा का हाल खसरा नम्बर 747 रकबा 11 बीघा 11 बिस्वा कायम किया गया है ।

11. अधीनस्थ न्यायालय में वादी के बयान नहीं हुए हैं और न ही उनके द्वारा पेश किये गये दस्तावेजात को प्रदर्श किया है । नकल जमाबन्दी संवत् 2008 से 2011 के अनुसार दयाला के खाते मे खसरा नम्बर 587/6 की 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 603/1 की 09 बिस्वा और खसरा नम्बर 604/5 की 08 बीघा का रकबा दर्ज है । मिलान क्षेत्रफल संवत् 2022–41 में 604 मिन का 08 बीघा 17 बिस्वा, ख्सरा नम्बर 587 मिन का 02 बीघा 01 बिस्वा और खसरा नम्बर 603 मिन का 11 बिस्वा रकबा दर्ज है । इस प्रकार साबिक खसरा नम्बरान जो दयाला के खाते में दर्ज है उनसे मिलान क्षेत्रफल में अंकित साबिक खसरा नम्बरान का रकबा मिलान नहीं खा रहा है । साथ ही इसमें साबिक खसरा नम्बर 586 रकबा 02 बिस्वा भी शामिल किया गया है जो भी दयाला के खाते में शामिल नहीं है ।

12. यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि दयाला के खाते में कुल 03 किता की 09 बीघा 12 बिस्वा आराजी दर्ज थी जबकि रेस्पोडेन्टगण के खाते में साबिक खसरा नम्बर 747 की 11 बीघा 11 बिस्वा आराजी दर्ज थी । ऐसी स्थिति में इस प्रकरण में विधि सम्मत निर्णय पारित करने से पूर्व तहसील से विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त किया जाना हम आवश्यक समझते हैं । अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पेश किये दस्तावेजात को भी प्रदर्श नहीं करवाया गया है जो कि सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक हैं । वादी अपीलान्ट ने साबिक और हाल खसरा नम्बरान को दर्शाते हुए नजरी नक्शा भी पेश नहीं किया है ।

13. इन तथ्यों के आधार पर हम इस प्रकरण को पुनः इन तथ्यों के मध्य नजर निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

14. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.10.2012 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि पैरा संख्या 11 एवं 12 में किये विवेचन के अनुसार वादी के बयान करवाकर पेश किये दस्तावेजात को प्रदर्श करवाकर तहसील से विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त कर नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 24.06.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

15. निर्णय आज दिनांक 08.05.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

8/5/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा